

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 375/2015/श्रीगंगानगर

मैसर्स सचखण्ड एन्टरप्राइजेज,  
गजसिंहपुर, श्रीगंगानगर  
बनाम

.....अपीलार्थी

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वार्ड-प्रथम, प्रतिकरापवंचन,  
श्रीगंगानगर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के.पारीक

अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 23.03.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय प्राधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 474/आरवैट/रायसिंहनगर/2013-14 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 09.12.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-प्रथम, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर (जिसे आगे "सक्षम अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश वर्ष 2006-07 धारा-26, 58 व 61 राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) आदेश दिनांक 05.04.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसमें आईटीसी रुपये 1,27,720/- ब्याज रुपये 83,080/- कुल मांग राशि रुपये 2,10,800/- को विवादित किया गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी की अपनी समस्त खरीद व बिक्री बहियात में दर्ज है एवं समस्त खरीद एवं बिक्री को नियमित रूप से कार्यालय में प्रस्तुत तिमाही विवरणियों में दर्शाया है। विवरणियों में दर्शाई गयी खरीद एवं बिक्री तथा बहियात में दर्ज संव्यवहारों में कोई अंतर नहीं है। अधिकृत प्रतिनिधि ने यह भी दलील दी की अपीलार्थी द्वारा मैसर्स मनीष एन्टरप्राइजेज, हनुमानगढ़ एवं मैसर्स सुशील ट्रेडिंग कंपनी गजसिंहपुर से माल इनवॉइस के जरिये क्रय किया जाकर वैट अदा किया गया था। नियमित कर निर्धारण अधिकारी वृत्त-हनुमानगढ़ एवं रायसिंहनगर के कार्यालय में उक्त विक्रेता व्यवहारी पंजीकृत था। अधिकृत प्रतिनिधि ने कहा कि यदि विक्रेता व्यवसायी रिटर्न पेश नहीं कर रहे हैं तथा न ही कर जमा करा रहे है। तो इसमें अपीलार्थी का क्या कसूर है उसे उनकी गलती के लिए क्यों दण्डित किया जा रहा है। अतः क्रेता फर्म को खरीद पर उसे आईटीसी का क्लेम नहीं दिया जा सकता, तदनुसार सक्षम अधिकारी ने अपीलार्थी को आईटीसी का लाभ नहीं दिया जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की

लगातार.....2

धारा-18(3) के विरुद्ध है। अधिकृत प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि यदि विक्रेता व्यवसायी ने वैट जमा नहीं करवाया तो इसमें अपीलार्थी का कोई दोष नहीं है। उसके द्वारा समस्त संब्यवहार का इन्द्राज अपनी नियमित लेखा-पुस्तकों में किया गया है एवं विक्रेता ने उसे अलग से वैट चार्ज किया है। ऐसी स्थिति में क्रेता के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है। क्योंकि विक्रेता फर्म द्वारा दाखिल की गयी विवरणी में क्रेता फर्म को दर्शायी बिक्री वैट-9 में दर्शाया गया था एवं उसकी खरीद भी वैट-7 में दर्शाई गई थी। अधिकृत प्रतिनिधि ने कहा कि अपीलार्थी ने माल बिल से खरीद किया था लेकिन फिर भी सक्षम अधिकारी ने विक्रेता व्यवहारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। अतः ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के द्वारा मांगे गये आईटीसी क्लेम को अस्वीकार किया जाना एवं इसे अदेय मानते हुए धारा-55 के तहत ब्याज आरोपित किया जाना नियम विरुद्ध है। अधिकृत प्रतिनिधि ने अपने कथन के समर्थन में माननीय न्यायालयों के निम्न न्यायिक निर्णय भी उद्धरित किए :-

1. मैसर्स सरावगी रोलर फ्लोर मिल प्रा.लि. बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन निर्णय दिनांक 13.07.2005 13 टैक्स अपडेट 134 पार्ट-3 (RHC)
2. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम मैसर्स सुरेश ट्रेडर्स कम्पनी 1998 एसटीसी 109 (439) सर्वोच्च न्यायालय
3. मैसर्स घेरूलाल सुधीर चंद बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा (पंजाब एण्ड हरियाणा हाईकोर्ट)

उक्त सभी तथ्यों, आधारों एवं माननीय न्यायालयों के निर्णयों के प्रकाश में बहस करते हुए अपीलार्थी की अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा उक्त माल मैसर्स मनीष एन्टरप्राइजेज, हनुमानगढ़ एवं मैसर्स सुशील ट्रेडिंग कम्पनी, गजसिंहपुर से खरीद किया गया है जिसके द्वारा उक्त बेचे गये माल पर कोई वैटकर जमा नहीं करवाया गया है। इस फर्म द्वारा अपनी ओर बोगस खरीद दर्शाते हुए बिना माल के बिक्री किये ही अपीलार्थी को बोगस बिलों के द्वारा वैट प्राप्त करते हुए वैट इनवॉइस जारी किये गये जो कि सहायक आयुक्त, वृत्त-रायसिंहनगर द्वारा विक्रेता फर्म द्वारा किये गये क्रय व्यवहारों की जांच करने पर साबित किया गया। इस आधार पर वाणिज्यिक कर विभाग, हनुमानगढ़ द्वारा विक्रेता फर्म मैसर्स मनीष एन्टरप्राइजेज, हनुमानगढ़ द्वारा माल का क्रय विक्रय किये बिना बोगस विक्रय पर्व जारी करने के आधार पर पंजीयन प्रमाण पत्र को निरस्त किया गया है। अतः इस आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलार्थी फर्म द्वारा चाहे गये आगत कर रूपये 1,27,720/- को अस्वीकार किया है इन्हीं तथ्यों के आधार पर माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर द्वारा अपील संख्या 869/2008/श्रीगंगानगर वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स सतीश चन्द्र गोयल एण्ड संस श्रीगंगानगर आदेश दिनांक 17.05.2012 में निर्णय पारित करते हुए राजस्व की अपील स्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गयी है। उक्त प्रकरण के तथ्य एवं माननीय कर बोर्ड के उक्त वर्णित निर्णय में

दिये गये तथ्यों में पूर्णतः समानता है। निर्णय के अनुसार अपीलार्थी फर्म द्वारा भी मैसर्स मनीष एन्टरप्राइजेज, हनुमानबढ़ एवं मैसर्स सुशील ट्रेडिंग कम्पनी, गजसिंहपुर से माल का क्रय किया गया है एवं इस प्रकरण में भी अपीलार्थी द्वारा इसी फर्म से माल का क्रय किया जाना दर्शाया गया है। माननीय राजस्थान कर बोर्ड ने विक्रेता फर्म मैसर्स रामदेव ट्रेडिंग कारण विवादित संव्यवहार की अवधि में वाणिज्यिक कर कर विभाग में पंजीकृत व्यवहारी नहीं होने से वेटकर अधिनियम की धारा 18(1) के अनुसार पंजीकृत विक्रेता व्यवहारी द्वारा जारी विक्रय बिलों के आधार पर क्रेता व्यवहारी आगत कर क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं है इसके अतिरिक्त वेट कर अधिनियम की धारा 2(35) में विक्रय (Sale) की परिभाषा के अनुसार विक्रय से तात्पर्य माल के स्वामित्व के ऐसे अंतरण से है जो नकद या आस्थगित भुगतान या किसी अन्य प्रकार के मूल्यवान प्रतिफल के बदले में किया गया हो। इस प्रकार क्रय विक्रय के संव्यवहार के लिए माल के स्वामित्व का हस्तांतरण होना आवश्यक है किन्तु मैसर्स मनीष एन्टरप्राइजेज, हनुमानगढ़ एवं मैसर्स सुशील ट्रेडिंग कम्पनी, गजसिंहपुर से संबंधित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच किये जाने पर उनके द्वारा माल की खरीद किया जाना बोगस पाया गया अर्थात् माल का आवागमन नहीं हुआ है। इस आधार पर जब माल का क्रय किया जाना ही प्रमाणित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में माल के हस्तांतरण कर विक्रय किया जाना संभव नहीं हो सकता। अतः बिना माल के हस्तांतरण के विक्रय पर्चे जारी करने के आधार पर आगतकर क्लेम किया गया है वह मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि वेटकर अधिनियम की धारा 18(3)(V) के अनुसार विवादित क्रय व्यवहार को सही (Genuine) प्रमाणित करने का दायित्व क्रेता व्यवसायी का है जो कि इस प्रकरण में नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी महत्वपूर्ण है कि वेट कर अधिनियम की धारा 18(2) जो दिनांक 01.04.2006 से प्रभावी है के प्रावधान के अनुसार विक्रेता व्यवहारी द्वारा मूल वेट इनवॉइस में अंकित वेट राशि राजकोष में जमा कराने के पश्चात् ही क्रेता व्यवसाई चुकायी गयी वेट राशि का आगतकर लेने का हकदार है किन्तु इस प्रकरण में विक्रेता व्यवहारी द्वारा वेट कर जमा नहीं करवाया गया है अतः क्रेता व्यवहारी आगत कर क्लेम का पात्र नहीं है इसके अतिरिक्त वेट कर एक्ट की धारा 10 के अनुसार भी इनपुट टैक्स क्रेडिट की पात्रता साबित करने का भार क्रेता व्यवहारी पर है जो कि उसके द्वारा साबित नहीं किया गया है। अतः इन तथ्यों एवं माननीय कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 17.05.2012 के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि व्यवहारी द्वारा बोगस बिलों के आधार पर क्रय किये गये माल पर चाहा गया आईटीसी क्लेम स्वीकार्य नहीं है। इस संबंध में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत (2013) 64 वीएसटी 234 पेक्वेल इण्डस्ट्रीज बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक में पारित न्यायिक निर्णय का विवेचन करना उचित होगा जो निम्न प्रकार है :-


"Held dismissing the petition that on verification of records the authorities found that on date of purchase made by the petitioner, the selling dealers were deregistered. The whereabouts of them were also not known hence it was clear that the petitioner had made

transactions with Bogus and fake dealer's and availed of the ITC on basis of fake Tax invoices. The selling dealer's had not filed any declaration nor remitted the Tax collected from the petitioner. The petitioner had not furnished reliable and proper information about the existence of the seller's section 70(1) of the Act cast burden of proof on the dealer who claimed exemption or ITC rebate. Further it was clear from the records that the petitioner had not produced any material to show that the dealers with whom the petitioners had made transaction has remitted the Tax collected from it as required under section 70, though the petitioner has been making transaction's with the dealers for more than three years therefore the petitioner was not entitled to claim ITC and was liable to pay the penalty and interest under section 72(2) and 36 respectively of the Act. Thus there was not infirmity or irregularity in the order passed by the tribunal.

4. उपरोक्त तथ्यों एवं माननीय कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 17.05.2012 के आलोक में बोगस बिलों के आधार पर चाहा गया आईटीसी स्वीकार्य नहीं है अतः कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखा जाता है।

5. अतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

6. निर्णय सुनाया गया।

  
मदन लाल मालवीय  
(सदस्य)